न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00318 (15/2018) दायरा दिनांक : 26.11.2018

उनवान

1. मांगीलाल आत्मज घीसा, जाति माली, निवासी इकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.) मृतक जरिये कायम मुकामान –
   1/1. श्याम बाई पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल, जाति माली, निवासी इकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
   1/2. हरिशंकर पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
   1/3. कमलेश पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
   1/4. दिनेश वल्द स्वर्गीय मांगीलाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1. कैलाश चन्द्र आत्मज मदन लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
2. रमेश चन्द्र आत्मज मदन लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
3. कान्ति बाई पुत्री मदन लाल, पत्नी स्वर्गीय लाल चन्द, जाति माली, निवासी राजगढ़, जिला कोटा (राज.)
4. कलावती बाई पुत्री मदन लाल, पत्नी आत्माराम, निवासी लोटखेड़ी, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
5. रामप्यारी पत्नी स्व. बद्री लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
6. रामलाल आत्मज बद्री लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
7. प्रहलाद आत्मज बद्री लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
8. चन्द्रकला बाई पुत्री बद्री लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.) मृतक जरिये कायम मुकामान –
   8/1. बालचन्द वल्द देवीलाल – चन्द्रकला बाई, जाति माली, निवासी माली मोहल्ला रायपुर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
   8/2. जगदीश वल्द देवीलाल – चन्द्रकला बाई, जाति माली, निवासी माली मोहल्ला रायपुर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
   8/3. देवीलाल वल्द नन्द लाल वल्द पति चन्द्रकला बाई, जाति माली, निवासी माली मोहल्ला रायपुर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
   8/4. रामप्यारी बाई पत्नी स्व. बद्रीलाल माता चन्द्रकला बाई, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
9. संतोष बाई पुत्री स्व. बद्री लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
10. दुर्गाशंकर आत्मज देवी लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
11. ललित आत्मज देवी लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
12. श्यामा बाई पुत्री देवीलाल पत्नी जाति माली, निवासी होली खुट चौराहा कोटा रोड़ सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

13. भरोस बाई पुत्री देवी लाल, पत्नी पूनम चन्द, जाति माली, निवासी पुराना असनावर माली मोहल्ला असनावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
14. धापू बाई पुत्री देवीलाल पत्नी राजूलाल, जाति माली, निवासी सुधा होसपीटल, कोटा, जिला कोटा (राज.)
15. इन्द्रा बाई पुत्री देवीलाल पत्नी कन्हैयालाल, जाति माली, निवासी पुराने पोस्ट आफिस के पास माली मोहल्ला, चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)
16. मंजू बाई पुत्री देवीलाल पत्नी धनराज माली, जाति माली, निवासी कोटा
17. सीमाबाई पुत्री देवीलाल पत्नी रमेश चन्द माली, निवासी ग्राम मोडक, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)
18. रामकन्या बाई बेवा देवी लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
19. ओम प्रकाश उर्फ होम सुमन आत्मज कालूलाल, जाति माली, निवासी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज.)
20. प्रकाश चन्द्र आत्मज कालूलाल, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)
21. हेमराज आत्मज कालूलाल, जाति माली, निवासी इकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
22. लीला बाई पुत्री कालू लाल, जाति माली, निवासी रायपुर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
23. गुड्डी बाई पुत्री कालूलाल पत्नी श्याम बिहारी, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील असनावर, जिला झालावाड (राज.)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 6, 9, 11, 14, 15, 19 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 06.12.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर के प्रकरण संख्या – 462/दावा/13 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम इकतासा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड के माल में हस्व जमाबंदी संवत 2068 लगायत 2071 अन्य 27 किता आराजीयात के साथ आराजी खसरा नं. 913 रकबा 10 बिस्वा किस्म बीड प्रतिवादीगण 1 लगायत 23 के शामलाती खाते में गलततौर से दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2018 से वाद वादी खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध है एवं अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री मनमाना है, परवर्स है, केप्रिसियस है बिना कानून सम्मत प्रकिया अपनाये निर्णय किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालयने वादी अपीलांट को कोई अवसर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

साक्ष्य पेश करने का नहीं दिया और बिना साक्ष्य लिए ही विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाते हुए मातहत न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री अपास्त फरमायी जावे एवं प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए निर्णय पारित किया है। निर्णय केवल ऑर्डर शीट पर ही कर दिया है। हमे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। अतः अपील स्वीकार कर रिमाण्ड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि मा. राजस्व मण्डल की फुल बेंच ने RRT 2011 page 721 में निर्णय पारित किया कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार देने के अधिकार नहीं है। इसी बिन्दू को ध्यान में रखकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा खारिज किया गया है जो सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट के पिता मांगीलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम इकतासा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड के माल में जमाबंदी संवत 2068 से 2071 में 27 किता की आराजीयात के साथ आराजी खसरा नं. 913 रकबा 10 बिस्वा किस्म बीड प्रतिवादीगण 1 लगायत 23 के शामलाती खाते में गलततौर से दर्ज है जबकि इस खसरा नम्बर 913 रकबा 10 बिस्वा पर वादी का तन्हा वास्तविक कब्जा लगातार 20 सालों से शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। जिस कारण इस खसरा नम्बर 913 रकबा 10 बिस्वा को वादी अपने खाते घोषित कराने का अधिकारी है। अर्थात् वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खसरा नं. 913 की आराजी को अपने खाते दर्ज कराने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.09.2018 से विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं होना मानते हुए वादी का वाद खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुकूल होने से केवल तकनीकी आधार पर अपील के इस स्तर पर खारिज करना हम उचित नहीं समझते। इस संदर्भ में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2011 (2) आरआरटी पेज 721 जो राजस्व मण्डल की फुल बेंच का निर्णय है, इसमें भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। अतः अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. मांगीलाल आत्मज घीसा, जाति माली, निवासी इकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.) मृतक जरिये कायम मुकामान –

1/1. श्याम बाई पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल, जाति माली, निवासी इकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)

1/2. हरिशंकर पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)

1/3. कमलेश पुत्र स्वर्गीय मांगीलाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)

1/4. दिनेश वल्द स्वर्गीय मांगीलाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

......अपीलांट

बनाम

1. कैलाश चन्द्र आत्मज मदन लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
2. रमेश चन्द्र आत्मज मदन लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
3. कान्ति बाई पुत्री मदन लाल, पत्नी स्वर्गीय लाल चन्द, जाति माली, निवासी राजगढ़, जिला कोटा (राज.)
4. कलावती बाई पुत्री मदन लाल, पत्नी आत्माराम, निवासी लोटखेड़ी, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)
5. रामप्यारी पत्नी स्व. बद्री लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
6. रामलाल आत्मज बद्री लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
7. प्रहलाद आत्मज बद्री लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
8. चन्द्रकला बाई पुत्री बद्री लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.) मृतक जरिये कायम मुकामान –

8/1. बालचन्द वल्द देवीलाल – चन्द्रकला बाई, जाति माली, निवासी माली मोहल्ला रायपुर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

8/2. जगदीश वल्द देवीलाल – चन्द्रकला बाई, जाति माली, निवासी माली मोहल्ला रायपुर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

8/3. देवीलाल वल्द नन्द लाल वल्द पति चन्द्रकला बाई, जाति माली, निवासी माली मोहल्ला रायपुर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ (राज.)

8/4. रामप्यारी बाई पत्नी स्व. बद्रीलाल माता चन्द्रकला बाई, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)

9. संतोष बाई पुत्री स्व. बद्री लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
10. दुर्गाशंकर आत्मज देवी लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
11. ललित आत्मज देवी लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
12. श्यामा बाई पुत्री देवीलाल पत्नी जाति माली, निवासी होली खुट चौराहा कोटा रोड़ सुकेत, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)
13. भरोस बाई पुत्री देवी लाल, पत्नी पूनम चन्द, जाति माली, निवासी पुराना असनावर माली मोहल्ला असनावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
14. धापू बाई पुत्री देवीलाल पत्नी राजूलाल, जाति माली, निवासी सुधा होसपीटल, कोटा, जिला कोटा (राज.)
15. इन्द्रा बाई पुत्री देवीलाल पत्नी कन्हैयालाल, जाति माली, निवासी पुराने पोस्ट आफिस के पास माली मोहल्ला, चेचट, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)
16. मंजू बाई पुत्री देवीलाल पत्नी धनराज माली, जाति माली, निवासी कोटा
17. सीमाबाई पुत्री देवीलाल पत्नी रमेश चन्द माली, निवासी ग्राम मोडक, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)
18. रामकन्या बाई बेवा देवी लाल, जाति माली, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
19. ओम प्रकाश उर्फ होम सुमन आत्मज कालूलाल, जाति माली, निवासी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज.)
20. प्रकाश चन्द्र आत्मज कालूलाल, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)
21. हेमराज आत्मज कालूलाल, जाति माली, निवासी इकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
22. लीला बाई पुत्री कालू लाल, जाति माली, निवासी रायपुर, तहसील रायपुर, जिला झालावाड़ (राज.)
23. गुड्डी बाई पुत्री कालूलाल पत्नी श्याम बिहारी, निवासी झालावाड, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज.)
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)

......रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील नं. **2018/00318 (15/2018)** व नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, असनावर**

मु.द.नं **462/दावा/2013** निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक – **12.09.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **08** माह **11** सन् **2024**

हाजरी **श्री तंवर सिंह झाला** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री पूरीलाल राठौर** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1 लगायत 6, 9, 11, 14, 15, 19 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2018 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **06** माह **12** सन् **2024** को जारी किया गया ।

मोहर

06/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)